

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 118 (VI) "Grass Land and Wetland Development हेतु 50 करोड रूपये की लागत से विभिन्न कार्यों के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध सांभर झील का विकास भी करवाया जाना प्रस्तावित है।" के क्रम में Wetland Development हेतु उप वन संरक्षक,कोटा से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट मद 4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01-वानिकी, 101-वन संरक्षण विकास तथा संपोषण, 01-परिभ्राषित वनों का पुनरारोपण, 63-वृक्षारोपण में Wetland Development in Gram Simalya in Kanwas हेतु वर्ष 2023-24 में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है।

| मुख्य वन संरक्षक | उप वन संरक्षक | कार्य का विवरण | कुल आवंटन (रु.लाखों में) |
|------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| मुख्य वन संरक्षक, कोटा | उप वन संरक्षक, कोटा | Wetland Development in Gram Simalya in Kanwas | 100.00 |
| | | योग:- | 100.00 |

कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये:-

1. उक्त आवंटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
2. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
3. बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. वन विकास कार्यों को यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।।

(एम.के.गर्ग)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुवस/ 5182-87
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 03/07/2023

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
3. संबंधित उप वन संरक्षक,कोटा।
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर